न्यायालय जिलाधिकारी, सहरसा।

ऑगनबाड़ी अपील वाद – 16/2009–10

संजन कुमारी बनाम राज्य

– :: आदेश :: –

26.07.2014

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी संजन कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक – 10–2 दिनांक 07.09.2009 द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना में दायर सी०डब्लू०जे०सी० 8008/2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2014 को मामले की सुनवाई कर तीन माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को आदेश पारित करने हेतु निदेशित किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय, महिषी अन्तर्गत ग्राम पंचायत–बघवा के बाघवा के ऑगनबाड़ी केन्द्र, फोरसाही टोला के ऑगनबाड़ी सेविका के विधिवत रूप से किये गये आम सभा दिनांक 30.05.2007 के द्वारा चयन किया गया। यह कि विज्ञापन के आलोक में तीन अभ्यर्थी अपना आवेदन ससमय कार्यालय में जमा किये, जिसके अनुसार मेघा सूची का प्रकाशन किया गया, जिसके अनुरूप दिनांक 21.05.2007 को ग्राम पंचायत के मुखिया बुच्ची देवी, पचायत सचिव एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी के हस्ताक्षर से प्रकाशित किया गया है। जिसके अनुरूप 1. उषा कुमारी पति मदन प्रसाद यादव, मेघा क्रमांक – 41.49% 2. संजन कुमारी पति विनोद कुमार यादव, मेघा क्रमांक – 44.44% एवं 3. भारती कुमारी पति अमोद यादव, मेघ क्रमांक 59% है। विपक्षी रेखा देवी पति कृष्ण मोहन यादव उक्त केन्द्र के सेविका पद हेतु अपना आवेदन नहीं दी थी, चूँकि मेघा सूची मुख्या/पंचायत सचिव/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के हस्ताक्षर है, जो तथ्य इस अपीलवाद के निराकरण हेतु अत्यावश्यक है।

अपीलार्थी का अग्रतर कहना है कि दिनांक 30.05.2007 को मुखिया की अध्यक्षता में पंचायत समिति की उपस्थिति में एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के रूप में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी की मौजूदगी में विधिवत आम सभा की कार्रवाई की गयी। कुल तीन अभ्यर्थी में अपीलार्थी जो पोषक क्षेत्र से वर्ग बाहुल्य एवं सभी अर्हताओं को पूरा करती थी, विधिवत चयन की घोषणा की गयी। आम सभा किये जाने के बाद मुखिया एवं पंचायत सचिव के द्वारा चयन पत्र निर्गत करने हेतु मोटी रकम की माँग किया जाने लगा और चयन पत्र निर्गत करने में आना–कानी करने लगा। दो माह व्यतीत हो जाने के बाद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी द्वारा विभागीय पत्राक – 2269 दिनांक 08.03.2007 के आलोक में दिनांक 16.08.2007 को अपीलार्थी को नामांकन पत्र निर्गत करते हुए क्रियाशील किया गया। अंततः अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का चयन आम सभा द्वारा विधिवत रूप से की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। निदेशालय एवं विभागीय मार्ग दर्शिका के विपरित दिशा निर्देश के अपीलार्थी का चयन रद्द कर दिया गया, जो सर्वथा न्यायसंगत सिद्धांत के विपरीत है। अतः दाखिल अपीलवाद स्वीकृत करने हेतु याचना किया गया है।

प्रतिपक्षी का कहना है कि पोषक क्षेत्र की ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन के संबंध में आम सभा की बैठक बुलाने की तारीख दिनांक 18.04.2007 तथा मेघा सूची प्रकाशन की तिथि दिनांक 09.04.2007 थी, लेकिन फोरसाही टोला के पोषक क्षेत्र वार्ड संख्या–08 मेघा सूची दिनांक 21.05.2007 को अवैध रूप से तैयार की गयी और आम सभा दिनांक 30.05.2007 को आहूत की गयी। फोरसाही टोला पोषक क्षेत्र वार्ड नम्बर–08 की ऑगनबाडी सेविका/सहायिका के चयन हेतु आम सभा दिनांक 30.05.2007 को बुलाई गयी, जिसमें वादी संजन कुमारी, आवेदिका रेखा देवी तथा अन्य अभ्यर्थी उपस्थित थी, लेकिन कोरम के अभाव में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा पोषक क्षेत्र वार्ड संख्या–08 पचायत सेवक सुरेश पासवान वादी संजन कुमारी को बमेल वो साजिश एक दूसरे के सेविका के पद पर चयन करनें की भरसक कोशिश करने लगे और आवेदिका रेखा देवी ने अवैध एवं गलत मेघा सूची के खिलाफ शिकायत एवं विरोध किया जिससे हो हल्ला हो जाने के कारण आम सभा की कार्यवाही पूरा नहीं हो सकी। इसके बावजूद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने वादी संजन कुमारी के

गायवाना में चयन कर लिया। मुखिया ग्राम पंचायत, वधवा ने भी लिखित आवेदन दिनांक 07.11.2007 को दिया है कि हो हल्ला हो जाने के कारण आम सभा की कार्यवाही पूरा नहीं हो सकी।

प्रतिपक्षी का अग्रतर कहना है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी अपीलार्थी एवं पंचायत सेवक वमेल व साजिश कर चयन संबंधी कुल अभिलेख आम सभा की कार्यवाही में हो हल्ला के दौरान तत्कालीन पंचायत सेवक सुरेश पासवान लेकर चले गये। यह कि सेविका के चयन के खिलाफ अपीलार्थी ने दिनांक 24.10.2007 को आवेदन दिया, जिसके आधार पर जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार जाँच दल का गठन कर जाँच पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 28.12.2007 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के यहाँ समर्पित किये। जाँच दल के प्रतिवेदन के अनुसार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी दिनांक 07.09.2009 को आदेश पारित करते हुए विधिवत आम सभा आयोजित कर सेविका/सहायिका का चयन कार्य करने का निदेश दिया गया।

अंततः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पारित आदेश दिनांक 07.09.2009 को सम्पुष्ट करने एवं अपील आवेदन खारीज करने हेतु याचना किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। समाज कल्याण विभाग, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय के पत्र संख्या–2783 दिनांक 03.10.2006 से समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत सेविका/सहायिका के चयन संबंधी संशोधित मार्ग दर्शिका कंडिका–7 में नामांकन पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। आम सभा द्वारा विधिवत चयनित सविका/सहायिका को सर्वप्रथम प्रशिक्षण हेतु नामांकन पत्र विहित प्रपत्र (अनुलग्नक – घ) में चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से एक सप्ताह के अन्दर निर्गत किया जायेगा, जिसकी विवरणी एक पंजी में संधारित की जायेगी। संबंधित सेविका/सहायिका को प्रशिक्षित करने के उपरांत परियोजना अधिकारी द्वारा अध्यक्ष चयन समिति को सूचित किया जायेगा, तदोपरान्त अध्यक्ष, चयन समिति एवं सदस्य सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से विहित प्रपत्र अनुलग्नक (ङ) में चयन पत्र निर्गत किया जायेगा।

अपीलार्थी ने यह बात स्वीकार की है कि आम सभा के अध्यक्ष मुखिया एवं सदस्य सचिव द्वारा चयन पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

यदि आम सभा से विधिवत चयन के बाद अपीलार्थी को आम सभा के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के द्वारा चयन पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा था तो इसकी सूचना अपीलार्थी को वरीय पदाधिकारी को देनी चाहिए थी, लेकिन अपीलार्थी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि सेविका के रूप में उनका चयन विधिवत किया गया था।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलार्थी को चयन पत्र निर्गत किया गया, जिसे मान्य नहीं किया जा सकता। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का यह कृत कर्त्तव्यहीनता के श्रेणी में आता है, जिसके लिए अलग से इनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता है।

अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक – 10–2 दिनांक 07.09.2009 में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः प्रस्तुत अपीलवाद खारीज (Dismiss) किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

26.7.14
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 1477 -2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 28वीं जुलाई, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मूल संचिका संलग्न करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/7/14

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

28/7/14

121/6/88
18